भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2141

15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी समितियों का पुनरुद्धार

2141. श्री दिलेश्वर कामैत:

श्रीमती रीती पाठक:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश में सहकारिता आंदोलन में क्या मुख्य बाधाएं हैं; और

(ग) क्यासरकार सहकारी समितियों को और अधिक समावेशी बनाने और उन्हें "मेक इन इंडिया" में शामिल लोगों के साथ जोड़ने के लिए इन समितियों को मान्यता प्रदान करेगी और इन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): देश में पहले से ही समृद्ध सहकारी धरोहर तथा सुदृढ़ सहकारी क्षेत्र मौजूद है। देश में राज्य सहकारी समितियों एवं बहु-राज्य सहकारी समितियों जैसी दो प्रकार की सहकारी संरचनाएं हैं। केवल एक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियोंको संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित किया जाता है तथा एक से अधिक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 39)'नामक केन्द्रीय कानून द्वारा शासित किया जाता है। इनके प्रशासन से संबंधित किसी भी समस्या का निपटान संबंधित स्तरों पर किया जाता है। तथापि,देश में नीति और अन्य पहलों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को नए आयाम देने तथा और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है ताकि देश मे सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग से प्रशासनिक,कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान किया जा सके।

(ख): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) 2018 के सांख्यिकी प्रोफाइल के अनुसार देश में 8.54 लाख सहकारी यूनिटें हैं। अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी समितियों की त्वरित एवं न्यायसंगत वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दें हैं- सहकारी यूनिटों में प्रभावी शासन,नेतृत्वतथा पेशेवर प्रबंधन की कमी और प्रौद्योगिकी अपनाए जाने का निम्न स्तर।

(ग): सही मायने में जन-आधारित आंदोलन को जमीनी स्तर तक पंहुचाने और ''मेक इन इंडिया''पर ध्यान देने सहित सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के रूप में सहकारी समितियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं योजनाएं बनाई जा रही हैं। इससे सहकारी समितियों की विकासात्मक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केन्द्रीय सरकारकेमंत्रालयों सहित हितधारकों की राय/सुझाव मांगे गए हैं।

सहकारी समितियों को और अधिक पारदर्शी व कुशल बनाने के लिए यह मंत्रालय सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने,लगभग 63000 सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटलीकरण आदि जैसी संबंधित पहलों पर परियोजनाएं बना रहा है।

*****